राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक 21.09.2020

आदेश

श्री कैलाशदान जुगतावत, श्री संजीव भटनागर एवं श्री प्रदीप कुमार रिणवा, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सुपरटाईम स्केल** की निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति की अभिशंषाओं की चयन सूची में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

वर्ष 2017–18 :–

राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2017–18 की दिनांक 04.01.2018 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा श्री कैलाश दान जुगतावत के विरूद्व कार्मिक विभाग द्वारा 03.11.2015 को आरोप–पत्र जारी किये जाने के कारण इनकी सिफारिशे सील्ड कवर में रखी गई थी। कामिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 20.11.2019 द्वारा उक्त विभागीय जांच का निर्णय किया जाकर श्री जुगतावत को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण श्री जुगतावत की वर्ष 2017–18 में सील्ड सिफारिश को निरस्त किया जाकर पदोन्नति से वंचित किया जाता है।

वर्ष 2018–19 :–

कामिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 20.11.2019 द्वारा विभागीय जांच का निर्णय किया जाकर श्री जुगतावत को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण श्री जुगतावत की वर्ष 2017–18 में सील्ड सिफारिश को निरस्त किया जाकर पदोन्नति से वंचित किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2018–19 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्री जयनारायण मीणा (एसटी) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सर्व श्री प्रदीप कुमार रिणवा एवं श्री संजीव भटनागर का वर्ष 2018–19 में अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं किया गया परन्तु श्री आलोक श्रीवास्तव एवं श्री रघुनार्थ गर्ग के प्रकरण में सलेक्शन स्केल पद की वर्ष 2015–16 की आयोजित रिव्यू डीपीसी के कारण पदोन्नति हेतु सर्वश्री प्रदीप कुमार रिणवा एवं श्री संजीव भटनागर के लिए रिक्ति दिनांक क्रमशः 01.09.2015 व 01.01.2016 के स्थान पर दोनों के लिए दिनांक 01.04.2015 को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर सुपरटाईम स्केल में वर्ष 2018–19 के लिए इनका अनुभव पूर्ण हो जाता है। इस कारण सर्वश्री प्रदीप कुमार रिणवा एवं संजीव भटनागर को वर्ष 2018–19 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री प्रदीप कुमार रिणवा की वरिष्ठता श्री पवन कुमार जैन के नीचे एवं श्री संजीव भटनागर की वरिष्ठता श्री प्रदीप कुमार रिणवा के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2019–20 :–

सर्वश्री प्रदीप कुमार रिणवा एवं संजीव भटनागर का चयन वर्ष 2018–19 में हो जाने के कारण वर्ष 2019–20 की चयन सूची से दोनो अधिकारियों का नाम विलोपित किया जाता है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा को रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2019–20 में हायर सुपरटाईम स्केल में पदोन्नत किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त 01 रिक्ति के विरूद्व श्री हर्ष रत्नू को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्रीमती सुलेश कुमारी के नीचे व श्री नरेश कुमार मीणा के उपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0
(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज0, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

21/09/2020
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस